संख्या-2426/सत्तर-3-2025-1857332

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. नोडल अधिकारी,
समर्थ, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 सितम्बर, 2025

विषयः समर्थ पर प्रोन्नति हेतु विषय विशेषज्ञ (**Subject Metter Expert**) एवं कुलपति नामित (**VC Nominee**) बनाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1411/सत्तर-1-2024, दिनांक 16-10-2024 के द्वारा प्रदेश में राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की समयान्तर्गत/पारदर्शी प्रोन्नति के लिये समर्थ पर आनलाईन प्रोन्नति प्रक्रिया लागू की गई है। उक्त शासनादेश में प्रोन्नति एक समयबद्ध प्रक्रिया है, तथा प्रत्येक स्तर के लिये समय निर्धारित है। समयान्तर्गत कार्यवाही न होने पर आवेदन स्वतः अगले स्तर पर पहुंच जाने तथा सम्बंधित पर कार्यवाही की व्यवस्था है। कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समय से विषय विशेषज्ञ (Subject Metter Expert) एवं कुलपति नामित (VC) Nominee) न होने के कारण प्रोन्नति प्रक्रिया बाधित हो रही है।

2- उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु शासनादेश दिनांक 16.10.2024 में पूर्व व्यवस्था के साथ निम्न को अतिरिक्त रुप से लागू किया जाता है:-

- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति पूर्व व्यवस्थानुसार विषय विशेषज्ञ एवं कुलपति नामिनी को नामिति करते रहेंगे।
- प्रोफेसर एवं समतुल्य स्तर को ही विषय विशेषज्ञ एवं कुलपति नामिनी नियुक्त किया जाये।
- देश के राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामिति विषय विशेषज्ञ एवं कुलपति नामिनी का एक पूल बनाया जाये तथा समर्थ द्वारा पूल में से रैडम आधार पर आवश्यक्तानुसार महाविद्यालय को विषय विशेषज्ञ एवं कुलपति नामिनी उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- उ०प्र0 समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध एवं सत्यापित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर (02 वर्ष की सेवा पूर्ण) को विषय विशेषज्ञों के रूप में पूल में जोड़ा जाये।

- कतिपय विषयों (उदाहरार्णाथ-कृषि अर्थशास्त्र, सहकारिता आदि) में प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है उनके लिये समतुल्य विषय से विषय विशेषज्ञ नामित करने के लिये निम्न समिति (कुलपति-चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एवं सदस्य सचिव राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, उ०प्र०) का गठन किया जाता है, जो कॅरियर एडवांसमेन्ट हेतु समतुल्य विषयों की सूची समर्थ को उपलब्ध करा देगी जिससे समयान्तर्गत प्रोन्नति प्रक्रिया पूर्ण हो सके ।
- रैंडम आधार पर कैरियर एडवांसमेन्ट समिति के लिये चयनित विषय विशेषज्ञ (Subject Metter Expert) एवं कुलपति नामिति (VC Nominee) को समर्थ द्वारा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा जिसे उनके द्वारा 48 घंटे में Accept or Reject किया जायेगा। 48 घंटे में निर्णय ना लेने पर अथवा निरस्त करने पर उक्त के स्थान पर कम्प्यूटर द्वारा स्वतः नया सदस्य नामित कर दिया जायेगा।
- विषय विषषज्ञ (Subject Metter Expert) एवं कुलपत्ति नामिति (VC Nominee) का चयन पूर्णतः कम्पूटराइज्ड एवं रेडम आधार पर होगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासनादेश दिनांक 16.10.2024 में वर्णित व्यवस्था के साथ-साथ प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
PREM KUMAR PANDEY
Date: 16-09-2025
16:49:39

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।